बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र0 / सा0बि0पा0डि0कं0 लि0–01 / 2016 पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन वितरण लाइनों को 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के सहारे रीवर क्रॉसिंग करवाने हेतु रू0 2,50,20,187 (दो करोड़ पचास लाख बीस हजार एक सौ सतासी रूपये) की राशि की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 2,50,20,187 रू0 (दो करोड़ पचास लाख बीस हजार एक सौ सतासी रूपये) उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन 11 के0वी0 एवं 33 के0वी0 लाइन का निर्माण होना है जिसमें रीवर क्रॉसिंग की आवश्यकता है। लाइन क्रॉसिंग के स्थानों के पास नदी की चौड़ाई (लगभग 400 मी0 से 600 मी0) अधिक है। इस वजह से उक्त लाइनों के रेल पोल / पी0एस0सी0 पोल पर रीवर क्रॉसिंग कराना तकनीकी कारणों से संभव नही हो पा रहा है। अतः उक्त आलोक में 33 के0वी0 लाइन ग्रीड उपकेन्द्र, लखीसराय से शक्ति उपकेन्द्र, कजरा एवं पिरी बजार एवं 33 के0वी0 लाइन शक्ति उपकेन्द्र औरे से शक्ति उपकेन्द्र, मननपुर लाइन का निर्माण की आवश्यकता है।

2. इस योजना से कंपनी के क्षेत्राधीन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकेगा, जिससे पीक लोड अवधि में भी गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। 132 के0बी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के सहारे 33 के0वी0 / 11 के0वी0 लाइन के निर्माण हेतु कुल लागत 2,50,20,187 रूपये आकलित की गई है।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन वितरण लाइनों को 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के सहारे रीवर क्रॉसिंग करवाने हेतु रू0 2,50,20,187 (दो करोड़ पचास लाख बीस हजार एक सौ सतासी रूपये) की राशि की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 2,50,20,187 रू0 (दो करोड़ पचास लाख बीस हजार एक सौ सतासी रूपये) उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05–संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं0–10, उपशीर्ष–0106–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–P4801051900106, विषय शीर्ष –5401– निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0 एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष एल0 8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–के0–8448001200047 में जमा की जाएगी।

कृ0पृ0उ0

6. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0 एल0 खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग केपरिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0 / सा0बि0पा0डि0कं0 लि0–01 / 2016 के पृष्ठ संख्या 08 / टि0 पर दिनांक 18.01.2017 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प्र0 / सा0बि0पा0डि0कं0 लि0–01 / 2016 के पृष्ठ संख्या 10 / टि0 पर दिनांक 03.02.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक प्र0 / सा0बि0पा0डि0कं0 लि0–01 / 2016 दिनांक ....

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक प्र0 / सा0बि0पा0डि0कं0 लि0–01 / 2016 277 दिनांक 08/02/2017

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / उप सचिव, ऊर्जा विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

7